भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *343

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2024

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास

***343. श्री आलोक शर्मा :**

श्री बलभद्र माझी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं कि ऋण गारंटी में पांच लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि, विशेषतः जलगांव जिले सहित महाराष्ट्र जैसे अल्प-लाभान्वित क्षेत्रों तथा देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा प्रभावी ढंग से प्राप्त की गई है;

(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) योजना के माध्यम से ऋण गारंटी का लाभ लेने में जलगांव जिले सहित देशभर के अल्प-लाभान्वित क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विशेषतः महाराष्ट्र सहित देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बीच वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी तथा दस्तावेज तैयार करने में कठिनाई जैसी संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उन्हें इन ऋण गारंटियों का लाभ लेने में मदद मिल सके;

(घ) स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सहायतार्थ जलगांव जिला इस योजना का विशेष रूप से किस प्रकार लाभ उठाता है; और

(ड.) देश में इन ऋण गारंटियों का प्रभावी वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने में स्थानीय हितधारकों की भूमिका क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *343, जिसका उत्तर दिनांक 19.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीएस) योजना को एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक निधि के समावेशन के साथ नया रूप प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कोष में 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का समावेशन किया गया, ताकि आगामी चार वित्तीय वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त गारंटी कवरेज की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। यह लक्ष्य महाराष्ट्र और जलगांव जिला सहित पूरे देश में प्राप्त कर लिया गया है। सीजीटीएमएसई के तहत अनुमोदित क्रेडिट गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:

सीजीटीएमएसई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)			
	2022-23	**2023-24**	**2024-25 (30.11.2024 तक)**
अखिल भारत	1,04,781	2,02,807	1,50,425
महाराष्ट्र	11,926	23,359	18,958
जलगांव	143	309	261

(ख) और (ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) में दिनांक 01.04.2023 से सुधार किया गया है, ताकि महाराष्ट्र सहित, पूरे देश में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एमएसई ऋण प्राप्तकर्ताओं और सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का बेहतर समाधान किया जा सके, जैसाकि निम्न में वर्णित किया गया है:

i. एक संशोधित गारंटी शुल्क संरचना की शुरुआत की गई है, जिसमें वार्षिक गारंटी शुल्क में 50% की कमी की गई है, जिसे 2% प्रतिवर्ष की अधिकतम दर से घटाकर 0.37% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
ii. गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया था।
iii. विधिक कार्रवाई से छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाए गए थे:

i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई, दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले एमएसई, जेड प्रमाणित एमएसई, आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसई और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एमएसई को गारंटी शुल्क में 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है।
ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई, दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले एमएसई, जेड प्रमाणित एमएसई, आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसई, पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र में स्थित एमएसई के लिए गारंटी कवरेज की सीमा अन्य के लिए 75% की तुलना में 85% है।
iii. दिनांक 10.12.2024 की अधिसूचना द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए गारंटी कवरेज को 85% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।
iv. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, चयनित क्रेडिट अपर्याप्त जिलों (आईसीडीडी) में एमएसई को क्रेडिट प्रदान करने में संवर्धन हेतु सीजीटीएमएसई वार्षिक शुल्क में 10% की छूट और अतिरिक्त 5% गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
v. सीजीटीएमएसई ने दिनांक 14.02.2024 को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 'अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान' की शुरुआत की है। 85 प्रतिशत कवरेज के साथ 20 लाख रुपए तक की क्रेडिट सुविधा की गारंटी कवर के लिए कोई प्राथमिक सुरक्षा आवश्यक नहीं होगी और 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क 0.37 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क 0.45 प्रतिशत होगा।

(घ) : जलगांव जिले में स्थानीय एमएसई को सहायता प्रदान करने के लिए, सीजीटीएमएसई ने वर्ष 2000-2001 में इसकी शुरुआत से दिनांक 30.11.2024 तक, 1,104 करोड़ रुपए की राशि की 16,231 गारंटी कवरेज प्रदान की गई हैं।

(ड.) : क्रेडिट गारंटी का प्रभावी संवितरण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सीजीटीएमएसई, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एमएलआई, एमएसएमई संघों, एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों आदि जैसे हितधारकों के सहयोग से और महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों के समन्वय के साथ पूरे देश में विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

*****